



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4585]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 4585]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

**भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय**

(भारी उद्योग विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

**का.आ. 5806(अ).**—चूंकि, भारी उद्योग विभाग ने का.आ. 830(अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के द्वारा एक स्कीम नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलैक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण एवं तीव्र अंगीकरण (फेम इंडिया) को अधिसूचित किया।

2. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का चरण-I उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के पैरा 5 के द्वारा ₹795 करोड़ के कुल परिव्यय के लिए अनुमोदित किया गया।

3. और चूंकि, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने वित्त मंत्रालय के ज्ञापन सं. 20(4)/पीएफ-II/2011 (पार्ट), दिनांक 4 सितम्बर, 2018 के द्वारा इस स्कीम के ₹795 करोड़ के विद्यमान अनुमोदित परिव्यय के अलावा ₹100 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय की अनुशंसा की।

4. और चूंकि, वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के आई.डी. नोट डीआई 20(04)/पीएफ-II/2011 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के द्वारा फेम स्कीम के चरण-I के ₹795 करोड़ से ₹895 करोड़ के कुल परिव्यय की वृद्धि अनुमोदित की।

5. इसलिए, अब का.आ. 830(अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के द्वारा अधिसूचित फेम स्कीम के चरण-I के ₹795 करोड़ के कुल परिव्यय को इस स्कीम के चरण-I के लिए तदनुसार ₹895 करोड़ संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01(04)/2018-एनएबी-II (ऑटो)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES****(Department of Heavy Industry)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2018

**S.O. 5806(E).**—Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India [FAME India] *vide* S.O. 830(E) dated 13<sup>th</sup> March 2015.

2. And whereas, the Phase-1 of the FAME India Scheme was approved for a total outlay of Rs. 795 crore *vide* para 5 of the above mentioned Gazette notification.

3. And whereas, Expenditure Finance Committee (EFC) recommended for additional outlay of Rs. 100 Crore, over & above the existing approved outlay of Rs. 795 Crore of this scheme, *vide* Ministry of Finance office memorandum number 20(4)/PF-II/2011(Pt.) dated 4<sup>th</sup> September 2018.

4. And whereas, the Ministry of Finance approved the enhancement of total outlay of Phase-1 of FAME Scheme from Rs. 795 crore to Rs. 895 Crore *vide* Ministry of Finance I.D. Note DoE 20(04)/PF-II/2011 dated 1<sup>st</sup> November 2018.

5. Now, therefore, the total outlay of Phase-1 of FAME Scheme of Rs. 795 Crore, notified *vide* S.O. 830(E) dated 13<sup>th</sup> March 2015, stands amended accordingly to Rs. 895 Crore for the Phase-1 of this scheme.

[F. No. 1(04)/2018-NAB-II (Auto)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.